

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 188] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर, 28, 1968/आश्विन 6, 1890

No. 188] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 28, 1968/ASVINA 6, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

RESOLUTION

New Delhi, the 28th September 1968

No. 4(46)-TEX(C)/67.—The Government of India have decided that the term of office of the All India Handloom Board, as reconstituted under the Ministry of Commerce and Industry Resolution No. 4(31)-TEX(C)/62, dated the 18th January, 1963 which expires on 30th September, 1968, may be extended upto 31st December, 1968.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India.

Ordered also that a copy of the Resolution be sent to all concerned.

DEVINDAR NATH, Jt. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 सितम्बर 1968

संकल्प

सं० 4(46)-टेक्स (सी)/67 : भारत सरकार ने विनिश्चय किया है कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के संकल्प सं० 4(31)/टेक्स (सी)/62 दिनांक 18 जनवरी, 1963 के अन्तर्गत पुनर्गठित, अखिल भारतीय हथकड़ा बॉर्ड के कार्यकाल की अवधि, जो 30 सितम्बर, 1968 को समाप्त होती है, 31 दिसम्बर, 1968 तक बढ़ा दी जाये।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बन्धी को भेज दी जाये।

देवेन्द्र नाथ, संयुक्त सचिव।